निदेशक कार्यालय
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

फा.सं.40-30/2022-स्था.I(नि.का.) दिनांक : 21 मार्च 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एम्स, नई दिल्ली में कैटरिंग सेवाओं हेतु संविदा संबंधी।

एम्स, नई दिल्ली द्वारा बड़ी संख्या में शैक्षणिक कार्यक्रमों की मेजबानी की जाती है और यहां अनेक राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा भी दौरा किया जाता है। एम्स, नई दिल्ली में सभी आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्यवर्धक तथा स्वच्छ भोजन एवं जलपान कराना सर्वोपरि है और इसके लिए यह आवश्यक है कि एम्स, नई दिल्ली के साथ कई कैटरिंग सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया जाए ताकि अल्प सूचना पर खानपान सेवाएं प्रदान की जा सकें।

तदनुसार, यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न विभागों, संकाय-सदस्यों, अधिकारियों, मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों, सी.एम.ई. कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के लिए निश्चित दर पर खानपान सेवाएं प्रदान करने हेतु उचित निविदा संबंधी प्रक्रिया के पश्चात् कम से कम 03 सेवा प्रदाताओं को 30 जून 2023 तक सूचीबद्ध किया जाए। यह एम्स को किसी भी आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए अल्प सूचना पर उनकी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, यह सम्मेलनों, सी.एम.ई्. कार्यक्रमों आदि के आयोजकों द्वारा चाहने पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तय की गई दरों पर गुणवत्तापूर्ण खानपान संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद प्रदान करेगा।

कार्रवाई: उपमहाप्रबंधक, कैफेटेरिया; प्रभारी संकाय, कैफेटेरिया

साथ ही, इन सेवा प्रदाताओं को अपने खाद्य पदार्थों को पकाने और संग्रहित करने के लिए एक साफ-सुथरा स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, इंजीनियरिंग विभाग, एम्स, कैफेटेरिया के परामर्श से ऐसी आवश्यकताओं के लिए अस्थायी रसोई क्षेत्र की पहचान और निर्माण करेगा। यह अस्थायी रसोई क्षेत्र धूल-मिट्टी से मुक्त होगा तथा आर.ओ. वाले जल की आपूर्ति, बिजली, जल-निकासी आदि की सुविधाओं से संपन्न होगा। इस क्षेत्र का निर्माण करते समय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा और इस क्षेत्र को 30 जून, 2023 से पहले क्रियाशील कर दिया जाएगा।

कार्रवाई: अधीक्षण अभियंता, एम्स

श्रीनिवास

(प्रो. एम. श्रीनिवास)
निदेशक

वितरण:

- उपर्युक्तानुसार

<u>सूचनार्थ हेतु प्रति</u>:

- संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- अपर निदेशक (प्रशासन)
- चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
- सभी केंद्रों के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई. झज्जर
- सभी विभागाध्यक्षगण
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

नोट: किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।